

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- /पी०ए०

दिनांक: लखनऊ: जून २५, 2015

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक,
अनुश्रवण एवं कार्ययोजना,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक,
कृषि एवं सामाजिक वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक,
वित्त एवं लेखा परीक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत होंगे कि वर्ष 2015-16 में शासन द्वारा विभागीय वृक्षारोपण हेतु जोन/मण्डल/वृत्त/प्रभाग के लिये निर्धारित लक्ष्य को वृहद स्तर पर विशेष अभियान चलाकर समयबद्धता सुनिश्चित करते हुये शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाना है। वृक्षारोपण कार्य मा० मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

अतः उक्त के दृष्टिगत यह निर्देश निर्गत किये जाते हैं कि वृक्षारोपण सत्र तक मण्डलीय/जोनल मुख्य वन संरक्षकों, वन संरक्षकों एवं क्षेत्रीय निदेशकों तथा प्रभागीय वनाधिकारियों एवं प्रभागीय निदेशकों की बैठक मुख्यालय स्तर पर आहूत न की जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि बैठक मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया जाना आवश्यक हो तो इसकी पूर्वानुमति अधोहस्ताक्षरी से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

भवदीय,


(डा० रूपक डे)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

संख्या- ८८२ /दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वृक्षारोपण सत्र तक मुख्यालय स्तर मण्डलीय/जोनल मुख्य वन संरक्षकों, वन संरक्षकों एवं क्षेत्रीय निदेशकों तथा प्रभागीय वनाधिकारियों एवं प्रभागीय निदेशकों की बैठक आयोजित न की जाये। अपरिहार्य परिस्थिति में यदि मुख्यालय स्तर पर बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक हो तो इसकी पूर्वानुमति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर ली जाये:-

1. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक।


(डा० रूपक डे)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।